



2026:AHC:2364

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 19490 वर्ष 2025

औधेन्द्र त्रिपाठी

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : आलोक कुमार द्विवेदी, इंद्र देव मिश्रा, जिज्ञासा सिंह

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

**न्यायालय संख्या - 33**

**माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार**

1. रिट याचिकाकर्ता की विद्वान अधिवक्ता सुश्री जिज्ञासा सिंह और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विवेक सिंह को सुना गया।

2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि रिट याचिकाकर्ता नागरिक पुलिस में उप-निरीक्षक है। उनका स्थानांतरण 21.08.2025 को जी.आर.पी. लाइन प्रयागराज से चित्रकूट कर दिया गया था और इसके पश्चात वह चित्रकूट के थाना मऊ में तैनात हैं। रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, उनका परिवार पहले से ही प्रयागराज में स्थित है और याचिकाकर्ता की पुत्री अनन्या त्रिपाठी सेंट मैरीज कॉन्वेंट इंटर कॉलेज, प्रयागराज में कक्षा-9 में पढ़ रही है और उनका पुत्र रुद्राक्ष तिवारी सेंट जोसेफ कॉलेज, प्रयागराज में कक्षा-8 में पढ़ रहा है। रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, उनकी पत्नी दोनों बच्चों के साथ प्रयागराज में ही रह रही हैं। उनका निवेदन है कि शैक्षणिक सत्र तक सरकारी आवास को रिट याचिकाकर्ता के परिवार के पास ही रहने दिया जाए। रिट याचिकाकर्ता का यह भी मामला है कि अब आवास खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जो भी हो, रिट याचिकाकर्ता वर्ष 2025-26 तक आवास अपने पास रख सकते हैं।

4. अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों को सुनने के पश्चात, इस रिट याचिका को **निस्तारित** करते हुए रिट याचिकाकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी सभी आधारों और शिकायतों को शामिल करते हुए एक विस्तृत प्रत्यावेदन रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ विपक्षी संख्या-2 के समक्ष 16.01.2026 तक प्रस्तुत करें, और विपक्षी संख्या-2 उक्त प्रत्यावेदन पर 28.02.2026 तक निर्णय लेंगे।

5. दिनांक 28.02.2026 तक याचिकाकर्ता को संबंधित आवास से बेदखल नहीं किया जाएगा।

6. इस आदेश का लाभ केवल तभी उपलब्ध होगा, जब रिट याचिकाकर्ता समय-सीमा का पालन करेंगे और किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं करेंगे।

**7 जनवरी, 2026**

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)